निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 63/2024
दायरा दिनांकः–11.11.2024
निर्णय दिनांकः– 30.5.25

उनवान

1. टुंडो बाई आयु 71 वर्ष पत्नि स्व0 हल्कु जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भंवरसिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 49 की खसरा संख्या 114/1 की रकबा 0.3162 हैक्टयर, खसरा नम्बर 116/1 की रकबा 0.0632 हैक्टयर, खसरा नम्बर 117/1 रकबा 0.5691 हैक्टयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.0126 हैक्टयर, खसरा नम्बर 17/1 रकबा 0.7714 हैक्टयर, खसरा नम्बर 222/1 रकबा 0.4300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 223/1 रकबा 0.0379 हैक्टयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 1.2141 हैक्टयर, कुल किता 08 कुल रकबा 3.4145 हैक्टयर, भूमि भूमि वाके माल रूपारेल तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) मे स्थित है जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/4 स्थित है, जो दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चला आ रहा है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के स्व. पति हल्कू का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से प्रार्थीया का नाम फौती इन्तकाल मे टूंडोबाई के स्थान पर घर मे बोलता नाम नारायणीबाई दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम टूंडोबाई है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर नारायणीबाई के स्थान पर टूंडोबाई किया जाना आवश्यक है। जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड पहचान पत्र, जन आधार कार्ड सभी में प्रार्थीया का नाम टूंडोबाई दर्ज है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...त नाम नारायणीबाई दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी ...जनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान केडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर तारफैन्सिग कर, भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहती है परन्तु जो प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है। प्रार्थीया दिनांक 05/11/2024 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गयी तो उसे हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की त्रृटि की जानकारी हुई।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्यें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 49 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड जन आधार कार्ड बैंक पास बुक की प्रति पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रूपारेल तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा है। जिस पर प्रार्थीया का काब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीया के पति हल्कु का फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से प्रार्थीया का नाम इन्तकाल में टुंडो बाई के स्थान पर घर में बोलता नाम नारायणी बाई दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम टुंडो बाई है जिसे दुरूस्त करवाना आवश्यक है क्योकि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को राज्य सकरार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थीया का नाम अन्य दस्तावेजात में टुंडो बाई है इसलिए प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में नारायणी बाई के स्थान पर टुंडो बाई दर्ज किया जावें।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया ग्राम रूपारेल की जमाबन्दी खाता संख्या 49 में नारायणी बाई पत्नि स्व0 हल्कु हिस्सा 1/4 दर्ज है जो कि हल्कु पुत्र प्रभुलाल के फोत होने पर नामान्तरण संख्या 143 (फोती) से दर्ज हुआ तथा नामान्तरण संख्या 143 में भी मु0 नारायणी बेवा हल्कु दर्ज रिकार्ड है जो आज दिनांक तक चला आ रहा है प्रार्थीया के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, में टुंडो बाई पत्नि हल्कुराम दर्ज है इसलिए प्रार्थीया अपने जमाबन्दी में भी टुंडो बाई दर्ज करवाना चाहती है ग्राम वासियान से जानकारी लेने पर बताया गया कि नारायणी बाई को गांव में टुंडो बाई के नाम से जानतें है तथा ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि नारायणी बाई व टुंडो बाई दो अलग-अलग महिला ना होकर एक ही महिला है ऐसा ग्राम वासियों द्वारा बताया गया। नारायणी बाई के स्थान पर टुंडो बाई उर्फ नारायणी बाई दर्ज किया जाना उचित होना बताया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रूपारेल सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 49 में नारायणी बाई पत्नि स्व0 हल्कु हिस्सा 1/4 दर्ज है प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, एवं बैंक पास बुक में प्रार्थीया का नाम टुंडो बाई दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम टुंडो बाई है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नारायणी बाई दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त कराना चाहता है तहसीलदार छबडा ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया की प्रार्थीया के पति का देहान्त होने के बाद फोती नामान्तरण के समय प्रार्थीया का नाम नारायणी दर्ज किया गया है दोनो नामों की एक ही महिला होना बताया है तथा नारायणी बाई के स्थान पर नारायणी बाई उर्फ टुंडो बाई दुरूस्त करने की अनुशंषा की है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाकें ग्राम रूपारेल तहसील छबडा के खसरा नम्बर 114/1, 116/1, 117/1, 135, 17/1, 222/1, 223/1, 50 कुल किता 8 रकबा 3.4145 है0 में प्रार्थीया का नाम नारायणी बाई के स्थान पर नारायणी बाई उर्फ टुंडो बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)